न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद (कोटा)

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
24 / 19	26.02.2019	27.09.2019

पीठासीन अधिकारी – जबर सिंह (R.A.S.)

उनवान

1. महावीर पिता रामकंवार, माता द्वारिका बाई
2. रघुवीर पिता रामकंवार, माता द्वारिका बाई
3. छोटूलाल पिता रामकंवार, माता द्वारिका बाई
4. बन्टी पिता रामकंवार, माता द्वारिका बाई जाति माली निवासीगण नोताडा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादीगण

बनाम

1. श्रीमती द्वारिका बाई पुत्री राम किशन जाति माली निवासी नोताडा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट

उपस्थित – श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट वादीगण की ओर से
– श्री जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम नीमली तहसील दीगोद में ख0नं0 290 / 1 रकबा 0.70 हे0, ख0नं0 282 रकबा 0.73 हे0, ख0नं0 313 रकबा 0.87 हे0 कुल किता 3 रकबा 2.30 हे0 एवं ग्राम नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा में ख0नं0 230 रकबा 0.65 हे0, ख0नं0 543 रकबा 0.33 हे0, ख0नं0 551 रकबा 0.07 हे0, ख0नं0 552 रकबा 0.38 हे0, ख0नं0 565 रकबा 0.39 हे0, ख0नं0 589 रकबा 0.03 हे0 कुल किता 6 रकबा 1.85 हे0 भूमि प्रतिवादी नं0 1 के खातें में दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादी नं0 1 वादीगण की माता है जो प्रतिवादी नं0 1 को उसके पिता राम किशन की मृत्यु के बाद व काका रामनारायण की मृत्यु के बाद से प्राप्त हुयी है इस प्रकार उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 की पुश्तेनी भूमि है। वादीगण प्रतिवादी नं0 1 के पुत्र व वारिस है इस कारण उक्त भूमि में प्रतिवादी नं0 1 के साथ वादीगण का भी बराबर–बराबर का हिस्सा है। उक्त भूमि को वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 शामलाती रूप से काश्त करते चले आ रहे है। इस कारण प्रतिवादी नं0 1 के साथ वादीगण को बराबर हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे प्रतिवादी नं0 1 के साथ सहखातेदार अंकित किया जाना आवश्यक है। वाद कारण प्रतिवादी नं0 1 द्वारा वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करानें से इन्कार करनें पर दिनांक 10.02.2019 को पैदा हुआ।

वाद प्रस्तुत कर वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें– ग्राम नीमली तहसील दीगोद की ख0नं0 290 / 1 दक्षिण रकबा 0.70 हे0, ख0नं0 282 रकबा 0.73 हे0, ख0नं0 313 रकबा 0.87 हे0 कुल किता 3 रकबा 2.30 हे0 एवं ग्राम नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा की ख0नं0 230 रकबा 0.65 हे0, ख0नं0 543 रकबा 0.33 हे0, ख0नं0 551 रकबा 0.07 हे0, ख0नं0 552 रकबा 0.38 हे0, ख0नं0 565 रकबा 0.39 हे0, ख0नं0 589 रकबा 0.03 हे0 कुल किता 6 रकबा

Scanned by CamScanner

1.85 है0 भूमि में प्रतिवादीगण नं0 1 के साथ वादीगण को सहखातेदार घोषित किया जावें तथा राजस्व रिकॉर्ड मे प्रतिवादी नं0 1 के साथ वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावें। प्रतिवादी नं0 2 को आदेश दिया जावें कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे। वादीगण को प्रतिवादीगण से मुकदमे का खर्चा दिलाया जावें। अन्य सहायता हो वह भी वादीगण को प्रदान की जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य मे वादीगण द्वारा निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये–

1. प्रतिलिपि जमाबदी ग्राम नीमली स0 2072–75 खाता न0 37
2. प्रतिलिपि जमाबदी ग्राम नोताडा स0 2071–74 खाता न0 192

बाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी न0 1 की ओर से वकील श्री जितेन्द्र शर्मा का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी न0 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रकरण मे इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नीमली व नोताडा की वादग्रस्त आराजी में वादीगण को बराबर–बराबर हिस्से पर सहखातेदार घोषित किये जाने में कोई आपत्ति नही है। उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बाद बहस पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम नीमली स0 2072–75 व प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम नोताडा स0 2071–74 में प्रतिवादी न0 1 द्वारक्या बाई पुत्री रामनारायण अभिलिखित खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। वादीगण प्रतिवादी नं0 1 की सतान है तथा प्रतिवादी नं0 1 ने अपने जवाब मे वादीगण को बहिस्सा बराबर सहखातेदार घोषित किये जाने की स्वीकृति जाहिर की है, किन्तु उक्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 के पिता से प्राप्त हुई है, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के अनुसार विवादित भूमि प्रतिवादी न0 1 की पूर्ण स्वामित्व की सम्पति मानी जावगी, न कि वादीगण की पुश्तैनी भूमि मानी जावेगी। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी न0 1 के इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर वादीगण को सहखातेदार के रूप मे अंकित किये जाने की सहमति प्रकट की है, किन्तु विवादित भूमि मे वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु नियमानुसार पंजीयन शुल्क वसूल किया जाना आवश्यक है। प्रकरण मे प्रतिवादी न0 1 ने वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए वादीगण को सहखातेदार दर्ज किये जाने में अनापत्ति प्रकट की है, जिससे वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

परिणामत: वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम नीमली तहसील दीगोद की ख0न0 290/1 दक्षिण रकबा 0.70 है0, ख0न0 282 रकबा 0.73 है0, ख0न0 313 रकबा 0.87 है0 कुल किता 3 रकबा 2.30 है0 एव ग्राम नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा की ख0न0 230 रकबा 0.65 है0, ख0न0 543 रकबा 0.33 है0 ख0न0 551 रकबा 0.07 है0, ख0न0 552 रकबा 0.38 है0, ख0न0 565 रकबा 0.39 है0, ख0न0 589 रकबा 0.03 है0 कुल किता 6 रकबा 1.85 है0 भूमि मे प्रतिवादीगण न0 1 के साथ वादीगण को सहखातेदार घोषित किया जाता है शेष यथावत् रहेगा। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वादीगण से नियमानुसार पंजीयन शुल्क वसूल करते हुए पालना करे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 27/09/2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

1. महावीर पिता रामकंवार, माता द्वारिका बाई
2. रघुवीर पिता रामकंवार, माता द्वारिका बाई
3. छोटूलाल पिता रामकंवार, माता द्वारिका बाई
4. बन्टी पिता रामकंवार, माता द्वारिका बाई जाति माली निवासीगण नोताडा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादीगण

बनाम

1. श्रीमती द्वारिका बाई पुत्री राम किशन जाति माली निवासी नोताडा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट

मिसल नम्बर–24 / 19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ जबर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब श्री जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम नीमली तहसील दीगोद की ख0नं0 290 / 1 दक्षिण रकबा 0.70 हे0, ख0नं0 282 रकबा 0.73 हे0, ख0नं0 313 रकबा 0.87 हे0 कुल किता 3 रकबा 2.30 हे0 एवं ग्राम नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा की ख0नं0 230 रकबा 0.65 हे0, ख0नं0 543 रकबा 0.33 हे0, ख0नं0 551 रकबा 0.07 हे0, ख0नं0 552 रकबा 0.38 हे0, ख0नं0 565 रकबा 0.39 हे0, ख0नं0 589 रकबा 0.03 हे0 कुल किता 6 रकबा 1.85 हे0 भूमि में प्रतिवादीगण नं0 1 के साथ वादीगण को सहखातेदार घोषित किया जाता है, शेष यथावत् रहेगा। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वादीगण से नियमानुसार पंजीयन शुल्क वसूल करते हुए पालना करें। तदनुसार अन्तिम डिकी जारी हों।" तदनुसार अन्तिम डिकी जारी की जाती है। मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 27 / 09 / 2019 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner